भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3407
जिसका उत्तर मंगलवार 06 दिसम्बर, 2016 को दिया जाना है

भारतीय पूंजी वस्तु क्षेत्र

3407. डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय पूंजी वस्तु क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ₹930.96 करोड़ के अनुमानित परिव्यय के साथ योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड/आवश्यकताएं क्या हैं;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की संख्या क्या है और सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना के अंतर्गत अनुदान के रूप में अब तक सरकार द्वारा संवितरित अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पूंजी वस्तु उत्पादन और रोजगार और विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी, हां। भारतीय केपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि संबंधी स्कीम भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा दिनांक 5.11.2014 को अधिसूचित की गई है।

(ख): इस स्कीम के चार अवसंरचनात्मक घटक हैं, नामतः (1) प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना, (2) एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधा (आईआईआईएफ), (3) साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी) तथा (4) परीक्षण और प्रमाणन केन्द्र (टी एंड सीसी)। इस स्कीम में एक घटक प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी) के माध्यम से वित्तीय हस्तक्षेप भी है।

इस स्कीम के अलग-अलग घटकों के लिए अलग-अलग पात्रता शर्तें निर्धारित हैं। यद्यपि, उत्कृष्टता केन्द्र घटक के लिए शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर आदि जैसे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र पात्र हैं, तथापि, आईआईआईएफ और सीईएफसी के लिए स्थानीय उद्योगों, उद्योग एसोसिएशनों, केन्द्रीय/राज्य सरकार आदि द्वारा गठित कंपोनेंट्स स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) पात्र हैं। टी एंड सीसी के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा कंपोनेंट एसपीवी का गठन किया जाएगा। टीएएफपी घटक के लिए केपिटल गुड्स विनिर्माण इकाई अथवा उनके कंसोर्टियम प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण अथवा अंतरण हेतु वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं। अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता शर्तों को दर्शाने वाली विस्तृत स्कीम अधिसूचना भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): विगत दो वर्षों के दौरान इस स्कीम (सीओई 7, सीईएफसी-4, आईआईआईएफ-1, टीएएफपी-16) के अंतर्गत 28 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में से 13 प्रस्ताव इस स्कीम के अलग-अलग घटकों के अंतर्गत निम्नानुसार अनुमोदित किए गए हैं:

(1). सीओई घटक के अंतर्गत सीएमटीआई, बैंगलोर में हाईटेक शटलरहित करघे का विकास। परियोजना परिव्यय - ₹20.00 करोड़। भारत सरकार का अनुदान - ₹16.00 करोड़। अब तक ₹5.2366 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया गया है।

(2). सीओई घटक के अंतर्गत आईआईटी मद्रास में 11 मशीन टूल प्रौद्योगिकियों का विकास। परियोजना परिव्यय - ₹56.12 करोड़। भारत सरकार का अनुदान - ₹44.75 करोड़। अब तक ₹12.2149 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया गया है।

(3). सीओई घटक के अंतर्गत पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी, कोयम्बटूर में 3 वेल्डिंग प्रौद्योगिकियों का विकास। परियोजना परिव्यय - ₹26.7 करोड़। भारत सरकार का अनुदान - ₹21.1 करोड़। अब तक ₹12.79 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया गया है।

(4). सीओई घटकों के अंतर्गत विज्ञान एवं औद्योगिक परीक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, कोयम्बटूर द्वारा स्मार्ट सबमर्सिबल पंपों का विकास। परियोजना परिव्यय - ₹8.41 करोड़। भारत सरकार का अनुदान - ₹6.72 करोड़। निधियां अभी जारी नहीं की गई हैं।

(5). पुणे के आस-पास के क्षेत्र में टूल्स, मोल्ड्स और डाइज उद्योग के लिए टेग्मा प्रशिक्षण उत्कृष्टता केन्द्र द्वारा चाकन, महाराष्ट्र के निकट सीईएफसी की स्थापना। परियोजना परिव्यय - ₹51.91 करोड़। भारत सरकार का अनुदान - ₹26.27 करोड़। अब तक ₹8.18 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया गया है।

(6). इस स्कीम के सीईएफसी घटकों के अंतर्गत, बैंगलोर में एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा मशीन टूल्स के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना। परियोजना परिव्यय - ₹0.97 करोड़। भारत सरकार का अनुदान - ₹0.776 करोड़। अब तक ₹77.6 लाख का सहायता अनुदान जारी किया गया है।

(7). इस स्कीम के सीईएफसी घटकों के अंतर्गत, रूस के सहयोग से रांची में एचईसी लिमिटेड द्वारा धातुकर्म, वेल्डिंग, गीयर विनिर्माण और नॉन डिस्ट्रक्टिव परीक्षण के लिए एक हाई एन्ड विशेषीकृत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना। परियोजना परिव्यय - ₹50.00 करोड़। भारत सरकार का अनुदान - ₹30.00 करोड़। निधियां अभी जारी नहीं की गई हैं।

(8). वस्त्र मशीनरी उद्योग के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी उन्नयन संस्थान द्वारा सूरत, गुजरात के निकट एक सीईएफसी की स्थापना। परियोजना परिव्यय - ₹50.27 करोड़। भारत सरकार का अनुदान - ₹27.81 करोड़। निधि अभी जारी नहीं की गई है।

(9). कर्नाटक सरकार के सहयोग से आईआईआईएफ घटक के अंतर्गत टुमकुर, कर्नाटक में मशीन टूल पार्क की स्थापना। परियोजना परिव्यय - ₹421.00 करोड़। भारत सरकार का अनुदान - ₹125.00 करोड़। निधि अभी जारी नहीं की गई है।

(10). टीएएफपी घटक के अंतर्गत, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा चार गाइडवे सीएनसी लेथ का विकास। परियोजना लागत - ₹4.40 करोड़। भारत सरकार का अनुदान - ₹1.10 करोड़। निधि अभी जारी नहीं की गई है।

(11). टीएएफपी घटक के अंतर्गत एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा चार गाइडवे सीएनसी लेथ का विकास। परियोजना लागत - ₹1.52 करोड़। भारत सरकार का अनुदान - ₹0.38 करोड़। निधि अभी जारी नहीं की गई है।

(12). टीएएफपी घटक के अंतर्गत एलाइड इंजीनियरिंग प्रा. लि. का विनिर्माण। परियोजना लागत - ₹14.98 करोड़। भारत सरकार का अनुदान - ₹3.75 करोड़। निधि अभी जारी नहीं की गई है।

(13). टीएएफपी घटक के अंतर्गत इंडस्ट्रियल प्रोसेसर एंड मेटालिजर्स प्रा. लि. द्वारा हाइड्रो पावर टर्बाइन्स के लिए कटिंग ऐज रोबोटिक लेजर क्लेडिंग टेक्नालॉजी का विकास। परियोजना लागत - ₹9.47 करोड़। भारत सरकार का अनुदान - ₹1.24 करोड़। निधि अभी जारी नहीं की गई है।

(ङ) और (च): सरकार ने केपिटल गुड्स के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। हालांकि, राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति में ₹7,50,000 करोड़ से अधिक केपिटल गुड्स का उत्पादन स्तर हासिल करने और इस क्षेत्र में वर्तमान में 1.4 मिलियन प्रत्यक्ष घरेलू रोजगार को वर्ष 2025 तक 5 मिलियन तक ले जाने की परिकल्पना की गई है।

****